न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री दुर्गाप्रसाद मीणा R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्या:– 139/2024 निर्णय दिनांक :–30.05.2024

उनवानी प्रार्थना पत्र:–

1. गिरिराज पुत्र हरजी राम जाति बैरवा निवासी कनवाडा तहसील दूनी जिला टोंक राज0
2. दाखा देवी पत्नी हरजी राम जाति बैरवा निवासी कनवाडा तहसील दूनी जिला टोंक राज0
3. रामप्यारी बाई पुत्री हरजी राम जाति बैरवा निवासी कनवाडा तहसील दूनी जिला टोंक राज0
4. सोमवती बाई पुत्री हरजी राम जाति बैरवा निवासी कनवाडा तहसील दूनी जिला टोंक राज0
5. हेमराज पुत्र हरजी राम जाति बैरवा निवासी कनवाडा तहसील दूनी जिला टोंक राज0

–प्रार्थीगण–

बनाम

तहसीलदार दूनी तहसील दूनी जिला टोंक (राज.)

–अप्रार्थी–

उपस्थिति :– श्री रामलाल कटारिया
अधिवक्ता प्रार्थी

तहसीलदार दूनी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0 आर0 एक्ट आर.टी.ए

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि खातेदारी की आराजी भूमि खाता संख्या 648 खसरा नम्बर 1382 रकबा 0.3600 है0, खसरा नम्बर 2892/1381 रकबा 0.4000 है0 व खाता संख्या 740 खसरा नम्बर 1399 रकबा 0.1400 है0, खसरा नम्बर 1401 रकबा 0.2600, खसरा नम्बर 2893/1398 रकबा 0.2400 वाके ग्राम कनवाडा तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान में स्थित है। प्रार्थीगण सम्पूर्ण भूमि पर काबिज काश्त है वर्तमान में उक्त आराजीयात खाली पडी है। अभी वर्तमान में आस पास के पडोसी खातेदार जब भी प्रार्थीगण काश्त करने जाते है तो प्रार्थीगण से खेतो की मेडो को लेकर झगडा फसाद करते है। उक्त खेतो के सीमा चिन्ह पर मेड/डोल को नष्ट कर दिया है। इसलिए आए दिन काश्त करने में पडोसियों के साथ झगडा होता रहता है। प्रार्थीगण के खेतों

Scanned with OKEN Scanner

के पडोसियो ने नजायज रूप से फायदा उठाकर प्रार्थीगण की भूमि में मिलाने पर अमादा है तथा सीमाज्ञान के चिन्हो को धीरे–धीरे अपने खेत में मिलाते जा रहे है। इस कारण से प्रार्थीगण अपनी खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात की पत्थरगढी करवाना चाहता है ताकि प्रार्थीगण की आराजी के पडोसी प्रार्थीगण की भूमि को अपने खेतो में नही मिला सके और मौके पर किसी भी तरह का विवाद उत्पन्न ना हो। प्रार्थीगण जब भी अपने खेत पर जाते है तो उन्हे वहा पर सीमा पर चिन्ह नही मिलते है वर्तमान में खेत खाली है। प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि की पत्थरगढी की जाती है तो आने वाले समय जब भी फसल काश्त की जाती है तो कोई विवाद पैदा नही होगा और प्रार्थीगण मुकदमाबाजी से बच जायेंगे।

प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार न्यायालय को प्राप्त है। अतः उक्त आराजी बाबत् श्रीमान तहसीलदार दूनी को नियमानुसार आदेश फरमाया जावे।

अप्रार्थी तहसीलदार दूनी की तलबी जारी की गई।

तहसीलदार दूनी द्वारा जवाब/रिपोर्ट पेश की जो निम्न प्रकार है :– उक्त आराजी आवेदक की खातेदारी में दर्ज व कब्जे काश्त की है। आवेदक का अन्य पडोसी खातेदारो के खसरा नम्बर 1380, 3000/1380 व 2998/1380 से सीमा विवाद है। उक्त आराजी का कोई विरासत नामान्तकरण अवशेष नही है। उक्त भूमि की सीमाओं पर अतिक्रमित राजकीय भूमि है। उक्त आराजी के सम्बंध में किसी न्यायालय में स्थगन नही है और पूर्व में सीमाज्ञान नही हुआ है।

पत्रावली बहस में नियत की गई ।

अधिवक्त प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की प्रार्थना की।

पत्रावली का अवलोकन किया, अधिवक्ता प्रार्थी बहस पर मनन किया। तहसीलदार दूनी की बिन्दूवार रिपोर्ट अनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतः तहसीलदार दूनी को एतत् द्वारा आदेशित किया जाता है कि सीमाओं पर अतिक्रमित राजकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कर प्रार्थी व पडोसी खातेदारान की उपस्थिति में

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थी नियमानुसार पत्थरगढी/सीमाज्ञान शुल्क राजकोष में जमाकर जमाबंदी सम्वत् 2071–74 में खाता संख्या 648 खसरा नम्बर 1382 रकबा 0.3600 है0, खसरा नम्बर 2892/1381 रकबा 0.4000 है0 व खाता संख्या 740 खसरा नम्बर 1399 रकबा 0.1400 है0, खसरा नम्बर 1401 रकबा 0.2600, खसरा नम्बर 2893/1398 रकबा 0.2400 वाके ग्राम कनवाडा तहसील दूनी जिला टोंक की विधिवत् पत्थरगढी प्रार्थीगण का उक्त आराजी पर कब्जा होने पर की जावे, अन्यथा उक्त आराजी का सीमाज्ञान कर प्रार्थीगण को अवगत करावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। नियमानुसार बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली

Scanned with OKEN Scanner